(d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above. [Placed in Library. *See* No. LT-60/04]

Report and Accounts (2002-03) of the G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora, for the year 2002-2003, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers, mentioned at (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT-128/04]

MoU (2004-05) between the Government of India and the Central Warehousing Corporation

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution) and the Central Warehousing Corporation for the year 2004-2005. [Placed in Library. *See* No. LT-131/04]

MOTION FOR ELECTION TO THE COCONUT DEVELOPMENT BOARD

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं:–

"नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981 के नियम 4 के उपनियम (1) के खंड (i) के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का संख्यांक 5) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अनुसरण में, यह सभा उस रीति से जैसा कि सभापति निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को नारियल विकास बोर्ड का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करे।"

The question was put and the motion was adopted.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैंने एक अत्यन्त महत्व के प्रश्न की आपके पास सूचना भेजी थी।

श्री सभापति: आपने सूचना भेजी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आते-जाते यदि मुझे कोई चिट मिल जाये, तो मैं उस पर काग्नीजेंस नहीं ले पाऊंगा।...(व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, this is an important issue...*(interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): सर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: हां, महत्वपूर्ण सवाल है।...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अगर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है तो आप पहले क्यों नहीं देते?..(व्यवधान)। बहुत महत्वपूर्ण है तो आप पहले क्यों नहीं देते?...(व्यवधान)...जब मैं हाउस में आ रहा हूं, उस समय आपने मुझे चिट पकड़ा दी, तो उससे कैसे होगा?...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सर, सदन में कहने का तो हक है।...(व्यवधान)...सर, सदन में कहने का काग्नीजेंस तो आप लें।..(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैंने ले लिया। आप बाद में भी दे सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट मैटर है, इसमें कोई संदेह नहीं है।...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, आप कब उसे लेंगे?...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मैं आज तो कह नहीं सकता। कल-परसों की छुट्टी है, उसके बाद में देख लेंगे।...(व्यवधान)...आपका मैटर इम्पोर्टेंट है।...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: जी।

श्री सभापति: श्री सुरेश पचौरी।...(व्यवधान)...गवर्नमेंट बिजनेस।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...आदरणीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...मैं आपकी अनुमति से सूचित करना चाहता हूं...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट। आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...पचौरी जी, एक मिनट बैठ जाइये।...(व्यवधान)...आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Sir, this is a very serious issue...*(interruptions)*... The code of ethics has been removed from the educational curriculum...*(interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You were there when I received a note, and I had told you at that moment that I will have to study it. And now, you are pressing that it should be taken up just now. It is just not possible...*(interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, it is connected to an important matter...*(interruptions)*...

श्री सभापति: मैं इसको ले लूंगा, लेकिन आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...श्री सुरेश पचौरी।...(व्यवधान)...देखिए, कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा, अगर आप मेरी बिना अनुमति के बोलेंगे। बिना मेरी इच्छा के कोई बोलेगा तो वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।...(व्यवधान)...आप बैठ जाइये।...(व्यवधान)...नहीं, नहीं।...(व्यवधान) ... मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है।...(व्यवधान)...मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है। कृपया आप न बोलें। अगर आप बिना मेरी अनुमति के बोलेंगे तो रिकार्ड पर नहीं जायेगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा।...(व्यवधान)...मैं अलाऊ नहीं करूंगा। चलिए।

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 12 जुलाई, 2004 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

वर्ष 2004-2005 के लिए रेल बजट पर आगे सामान्य चर्चा।

लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विनियोग (रेल) लेखानुदान संख्या-2 विधेयक, 2004 पर विचार तथा वापस लौटाना।

''सामान्य राजस्व और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर'' के निर्धारण हेतु एक नयी रेल अभिसमय समिति चौदहवीं लोक सभा के गठन के लिए रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकल्प पर चर्चा तथा स्वीकृत करना। वर्ष 2004-2005 के लिए सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।